लेखानुदान 2017-2018

संख्या : 12/2016/बी-1-2832/दस-2016-12(2)/2017

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
वित्त आयुक्त एवं प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक : 07 अक्टूबर, 2016

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-2018 के एक भाग के लिये लेखानुदान लिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आगामी विधान सभा चुनाव के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में होने वाले वचनबद्ध व्यय (यथा - कर्मचारियों के वेतन-भत्ते, कार्यालय प्रबन्धन व्यय, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशनादि, राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण के मूलधन का प्रतिदान तथा ब्याज का भुगतान एवं अनुरक्षण कार्यों पर व्यय आदि) तथा चालू योजनाओं के लिये अनुमानित व्यय के एक भाग के लिये लेखानुदान लिया जाना है । वित्तीय वर्ष 2017-2018 के बजट अनुमानों को तैयार किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-11/2016/बी-1-2818/दस-2016-12(2)/2017 दिनाँक 03 अक्टूबर, 2016 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृमया वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वचनबद्ध व्यय तथा चालू योजनाओं हेतु अनुमानित व्यय के प्रस्तावों को लेखानुदान में सम्मिलित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-11/2016/बी-1-2818/दस-2016-12(2)/2017 दिनाँक 03 अक्टूबर, 2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार कर वित्त विभाग को **दिनाँक 31 अक्टूबर, 2016 तक** उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
वित्त आयुक्त एवं
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या : 12/2016/बी-1-2832/(1)/दस-2016-12(2)/2017, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
2 प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
3 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5 प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग (राज्य योजना आयोग) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन ।
6 प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
7 निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8 निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10 वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग तथा उनसे सम्बद्ध अधिकारी ।
11 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12 गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।